



2026:AHC:15651

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1903 सन् 2026

सलाउद्दीन याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिलीप कुमार श्रीवास्तव, फूल चंद्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अरुण कुमार पांडे, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि इस याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को लंबित रिट याचिका संख्या 32129/2025 में उचित आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
- तदनुसार, रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता को प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन